केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां, एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029

याचिका सं. 487/टीएल/2024 — दिनांक: 11.3.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा आरटीएम रूट पर "400/220 केवी बीकानेर–II पीएस के 400 केवी स्तर पर बस सेक्शनलाइजर का कार्यान्वयन" और "400/220 केवी, 1*500 एमवी ए आईसीटी (9वां) से राजस्थान में 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन" (जिसे इसके पश्चात 'पारेषण योजना/परियोजना' कहा गया है) शामिल करने के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

"400/220 केवी बीकानेर–II पीएस के 400 केवी स्तर पर बस सेक्शनलाइजर का कार्यान्वयन"

क्र.सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	मद का विवरण	कार्यान्वयन की समय–सीमा
1.	• 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस के 400केवी स्तर पर बस सेक्शनलाइजर का एक सेट • 400केवी टाई बे का एक नंबर (400/220केवी आईसीटी–4 के साथ संबद्ध)	• 400 केवी बस सेक्शनलाइजर – 1 नंबर • 400केवी टाई बे – 1 नंबर	400/220केवी आईसीटी के कार्यान्वयन के साथ मैचिंग (चौथे से सातवा) अर्थात्, दिसम्बर 2024
		कुल अनुमानित लागत:	रु. 28 करोड़

"400/220 केवी, 1*500 एमवी ए आईसीटी (9वां) से राजस्थान में 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन"

क्र.सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	मद का विवरण	कार्यान्वयन की समय–सीमा
1.	संबद्ध ट्रांसफार्मर बे के साथ 400/220 केवी, 1*500 एमवी ए आईसीटी (9वां) से राजस्थान में 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन	• 500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी – 1 नंबर • 400केवी आईसीटी बे – 1 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे – 1 नंबर	सीटीयूआईएल द्वारा ओएम के जारी किए जाने की तारीख से 18 मास अर्थात् 18.01.2026
		कुल अनुमानित लागत:	रु. 54.60 करोड़

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 7.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 487/टीएल/2024 में दिनांक 11.3.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **24.3.2025** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **25.3.2025** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव